

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दमोह

फार्म डी.ए. 1

बैंक का जमा अमानत का बैंक विनियम 1949 की धारा 45 जेड.ए सहपठित धारा 56 के अंतर्गत एवं सहकारी बैंक (नामांकन) नियम 1958 के नियम 2(1) के अन्तर्गत नामांकन पत्र ।

मैं/हम.....पता.....
.....नीचे लिखे व्यक्ति को मेरी/हमारी /अवयस्क(नाबालिग) की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नीचे धारित अमानत की राशि बैंक की शाखा.....द्वारा वापिस की जावेगी ।

अमानत		नामांकित					
अमानत का प्रकार	खाता क्रमांक	अतिरिक्त विवरण	नम	पता	जमाकर्ता के संबंध	आयु	आदि नामांकित नाबालिग है तो उसकी जन्मतिथि है

चूंकि नामांकित आज दिनांक को अवयस्क (नाबालिग) है अतः मैं /हम श्री / श्री मति /कुमारी
.....पता.....
.....को अवयस्क की और से अमानत की राशि प्राप्त करने के लिये नियुक्त करते हैं, यदि नामांकित की अवयस्कता की स्थिति में मृत्यु हो जाती है ।

स्थान.....

दिनांक.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर अथवा

गवाह - (1).....

अंगूठा निशानी

(2).....

पावती

नामांकन क्रमांक.....

शाखा प्रबंधक